न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 89 / 2013 / आवेदन 212आरटीए

1. ओनाडसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह
   जाति राजपूत निवासीगण मकसूदपुरा पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामदेवा
2. नोछुराम } पुत्रगण सांवता

3. मनभरी
4. सजना
5. ज्ञाना
6. प्रभाती } पुत्रियां सांवता

7. बिड़दी बेवा सांवता
8. राकेश पुत्र गुल्ला
9. भूरा पुत्र कालू
10. पटवारी, पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
11. उप–पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर।
12. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. श्री भोपाल सिंह वकील प्रार्थीगण की ओर सें।
2. श्री शिवपाल सिंह वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनाक :– 10 .10.2019

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

1. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 326 ता 329 किता 4 कुल रकबा 2.29 है0, ख0नं0 291 ता 295, 330 ता 332, 290, 335 किता 10 कुल रकबा 1.42 है0 तथा भूमि ख0नं0 324, 325 किता 2 कुल रकबा 0.67 तथा भूमि ख0नं0 334, 333, 334/684 किता 3 कुल रकबा 0.80 है0, ग्राम मकसूदपुरा पटवार हल्का खण्डेलसर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। भूमि पुराने खसरा नम्बर 111 में आवेदकगण व उनके परिजनों का 1/2 हक हिस्सा व काबिज काश्त कदीम सें ही है तथा पुराने खसरा नम्बर 102, 103, 104 व 112 में वादीगण व उनके परिजनों का 1/4 हक हिस्सा व कब्जा काश्त कदीम सें ही चला आ रहा है जिसका उल्लेख राजस्व रिकॉर्ड प्रथम जमाबंदियों व गिरदावरियों में भी बखूबी दर्ज है। तथा उसी अनुसार खातेदार उद्घोषित किा जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद किया जाना न्यायोचित है। उक्त आराजियात में अनावेदक संख्या 1 लगायत 9 का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है तथा न ही उक्त आराजियात पर कभी अनावेदक संख्या 1 ता 9 का कब्जा काश्त रहा है। उक्त आराजियात गलत रूप सें अनावेदकगणों के नाम दर्ज चली आ रही है तथा उक्त भूमियों पर कदीम सें ही आवेदकगणों का कब्जा रहा है। वादकारण अनावेदकगण कुछ अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर उक्त भूमियों की कीमत तय करने लगे तथा इसका विरोध किये जाने पर दिगर व्यक्तियों को रहन, बेचान करने की धमकी दिये जाने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षा जारी है अतः अनावेदकगणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद फरमाया जो कि विवादित भूमियों के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने, रहन, बेचान एवं हस्तांतरण आदि करने सें बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं0 1 की ओर सें वकील श्री शिवपाल सिंह हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 1 की ओर सें जवाब पेश किया गया।
3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद फरमाया जावे कि उक्त गलत खातेदारी की आड़ में उक्त आराजियात के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने, रहन, बेचान एवं हस्तांतरण आदि करने सें बाज रहे। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस जवाब आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगणों को अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद करवाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगणों का विवादित भूमियों सें कभी कोई कब्जा, खाता या काश्त नहीं रहा है तथा न ही वर्तमान में है। भूमि पुराने खसरा नम्बर 111 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 326 ता 329 के 1/4 हक हिस्से पर प्रार्थी संख्या 1 का खाता, कब्जा व लगान अवश्य रह है शेष भूमियों सें प्रार्थीगण एवं इनके पूर्वजों का कोई संबंध

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ(सीकर)

Scanned by CamScanner

सरोकार नहीं रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 अपने पूर्वजों के समय सें उक्त भूमियों के काबिज खातेदार काश्तकार रहे है एवं वर्तमान में भी है। अतः वकील अप्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया कि प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे।

4. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। **चूंकि प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। तथा प्रार्थीगण प्रथम दृष्ट्या मामला अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है इस कारण सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व संबंधित मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 10-10-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोके कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner